

राजस्थान आवासन मण्डल, उदयपुर

उदयपुर जिले की दक्षिण विस्तार आवासीय योजना (बलीचा), गोवर्धन विलास योजना, उदयपुर, सलुम्बर एवं अटल नगर योजना, भीण्डर में पंजीकृत/अपंजीकृत आवदको के लिए नगद भुगतान पद्धति पर खुली बिक्री योजना में शेष प्लेटो/आवासो के आवंटन का का स्वर्णिम अवसर

आवेदन पत्र बिक्री/ प्राप्त करने की प्रारम्भ तिथि
(कार्य दिवस/ समय में)
15-06-2019

“पहले आओ
पहले पाओ”
के आधार पर

आवेदन पत्र बिक्री/ प्राप्त करने की अंतिम तिथि
(कार्य दिवस/ समय में)
28-06-2019

राजस्थान आवासन मण्डल के सम्पत्ति अधिनियम 1970 के नियमानुसार उदयपुर शहर में आवासन मण्डल की दक्षिण विस्तार आवासीय योजना (बलीचा), गोवर्धन विलास योजना में प्लेटो एवं सलुम्बर एवं भीण्डर शहर में आवासो का निस्तारण खुली बिक्री योजना से निम्नानुसार किया जाना निश्चित हुआ है :-

क्र. सं.	श्रेणी	उपलब्ध आवास/प्लेटस संख्या	संख्या	आवास/प्लेट का निर्मित क्षै. (व. मी)	आवास/प्लेट की लागत	आवेदन पत्र के साथ देय पंजीकरण राशि एवं पूर्वग्रहण राशि + प्रशासनिक शुल्क	नगद भुगतान में तीन माह में जमा करने की राशि
गोवर्धन विलास, उदयपुर - प्लेटस							
1	MIG-A (G+3)	GVF/ H-01, H-03, H-04, I-04, J-03, K-01, K-02, K-04 (Ground Floor)	08	74.610	3217735/-	90000/- +1000/-	3126735/-
2	MIG-A (G+3)	GVF/G-07, I-07, J-06 (First Floor)	03	74.610	2902320/-	90000/- +1000/-	2811320/-
3	MIG-A (G+3)	GVF/E-12, G-09, G-11, H-10, I-09, I-12, J-09, J-10, M-09 (Second Floor)	09	74.610	2823493/-	90000/- +1000/-	2732493/-
4	MIG-A (G+3)	GVF/E-16, G-16, H-13, H-14, H-15, I-13, I-16, J-14, J-15, M-13, M-14, M-15, M-16 (Third Floor)	13	74.610	2665940/-	90000/- +1000/-	2574940/-
दक्षिण विस्तार आवासीय योजना (बलीचा) - प्लेटस							
1	MIG-A (G+3)	G-13, G-14, H-13, H-14, H-15, H-16 (Third Floor)	06	74.610	2234257/-	90000/- +1000/-	2143257/-
अटल नगर भीण्डर- आवास							
1	LIG	A-19, A-26, A-27, D-15, D-16, D-17, D-20, D-21	08	72.00	789300/-	25000/- +700/-	773198/-
2	MIG-A	D-28, D-29, D-30, D-31	04	90.00	1164200/-	90000/- +1000/-	1112503/-
3	MIG-B	B-01, B-16, B-17, B-33	04	120.00	1651600/-	150000/- +1500/-	1556579/-
सलुम्बर आवासीय योजना, सलुम्बर- आवास							
1	MIG-A	1-A-293, 1-A-294	02	120.00	1718700/-	90000/- +1000/-	1686557/-

नोट:- उपरोक्त लागत के अतिरिक्त आवंटन पत्र में :

1. लीज राशि, ए.एस.सी. चार्ज, अतिरिक्त भूमि चार्ज एवं कोने के आवास हेतु अतिरिक्त चार्ज नियमानुसार देय होंगे।
2. आवास/फ्लैट की पूर्ण लागत का वस्तु एवं सेवाकर, लीगल चार्ज एवं नक्शे की राशि भी पृथक से नियमानुसार देय होगी।

केन्द्रीय/राज्य सरकार द्वारा भविष्य में कर प्रावधानों में किये जाने वाले सभी परिवर्तन लागू होंगे।

आवंटन प्रक्रिया एवं विशेष बिन्दु

1. इस योजना में दिनांक **15.06.2019** से दिनांक **28.06.2019** तक आवेदन पत्र स्वीकार किये जावेंगे।
2. इस योजना के आवेदन फॉर्म दिनांक **15.06.2019** से अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय से **200/-** रूपये नगद भुगतान पर कार्यालय समय में प्राप्त किये जा सकते हैं। इस योजना में आवास/फ्लैट आवंटन हेतु प्रत्येक कार्य दिवस में सांय 4.00 बजे तक आवेदन स्वीकार किये जावेगे एवं आवासो/फ्लैटों का आवंटन उसी दिन उपस्थित आवेदनकर्ताओं के समक्ष सांय 5.00 बजे से शुरू कर दिया जावेगा। एक आवास/फ्लैट के लिए एक से अधिक विकल्प प्राप्त होने पर लॉटरी द्वारा उपस्थित आवेदकों के सामने आवंटन किया जावेगा। असामान्य परिस्थिति होने पर लॉटरी कार्यक्रम पृथक से निर्धारण करने हेतु मण्डल स्वतंत्र होगा।
3. पंजीकृत आवेदकों को आवास/फ्लैटों का आवंटन वर्षानुसार वरीयता की प्राथमिकता के क्रम में किया जावेगा।
4. नगद भुगतान पद्धति के अन्तर्गत आवास/फ्लैट की मांग राशि आवेदक को तीन माह में जमा करानी होगी, एवं आवंटन पत्र अनुसार देय राशि जमा नहीं कराने पर आवास/फ्लैट निरस्त होने की स्थिति में जमा पंजीकरण राशि नियमानुसार कटौती कर शेष राशि बिना ब्याज के लौटा दी जावेगी।
5. इस योजना में आवेदक से आवेदन पत्र में केवल एक ही योजना/अपार्टमेन्ट में एक ही आय वर्ग का एक ही प्रकार के आवास/फ्लैट का विकल्प स्वीकार किया जायेगा। यदि आवेदक एक से अधिक आवास/फ्लैट लेना चाहता है तो अलग-अलग आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा।
6. इस योजना में असफल आवेदक अपना डीडी अगले कार्य दिवस में प्राप्त कर सकेंगे एवं अन्य आवास/फ्लैट के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकेंगे।
7. आवेदक आवेदन पत्र के साथ नियमानुसार उसके आय वर्ग के अनुसार राशि का बैंक ड्राफ्ट **राजस्थान आवासन मण्डल, उदयपुर** के पक्ष में देय बनवाकर जमा कराना होगा।
8. प्रस्तावित आवास/फ्लैटों का आवंटन **“जहाँ है जैसे है”** उसी स्थिति में किया जायेगा। इस सम्बन्ध में भविष्य में किसी प्रकार का आक्षेप मान्य नहीं होगा।
9. किसी भी विवाद की स्थिति में खुली बिक्री योजना में सम्मिलित आवास/फ्लैट को विलोपित किया जा सकता है।
10. अन्य जानकारी के लिए कार्यालय में सम्पर्क किया जा सकता है।

सम्पर्क सूत्र

परियोजना अभियन्ता (व.)
भीण्डर योजना हेतु

मो. 7665437575

परियोजना अभियन्ता (व.)
दक्षिण विस्तार, गोवर्धन विलास
एवं सलुम्बर योजना हेतु

मो. 8949052297

आवासीय अभियन्ता
खण्ड प्रथम, उदयपुर

मो. 9983993914